(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं.46 / 2015–2020
दिनांकः– 28 दिसम्बर, 2022

विषयः भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए) के तहत टीआरक्यू को शामिल करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.107 और परिशिष्ट–2क में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए) के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) हेतु उल्लिखित मदों और संबंधित प्रावधानों को शामिल करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.107 और परिशिष्ट–2क को निम्नानुसार संशोधित करते है–

1. इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए के तहत निम्नलिखित वार्षिक आयात टीआरक्यू को शामिल करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.107 को संशोधित किया जाता है–

एचएस कोड	मद विवरण	कोटा दर मे (%)	कैलैंडर वर्ष 2022 हेतु टीआरक्यू मात्रा	कैलैंडर वर्ष 2023 से आगे टीआरक्यू मात्रा
07134000	मसूर की दाल	शुल्क के लागू दर का 50%	1,233 मी.टन	1,50,000 मी.टन
08021100	इन–शेल बादाम	शुल्क के लागू दर का 50%	279 मी.टन	34,000 मी.टन
08021200	छिलके वाले बादाम			
08051000	संतरे	शुल्क के लागू दर का 50%	113 मी.टन	13700 मी.टन
08052100	नारंगी (कीनू और सत्सुमस सहित)			
08083000	नाशपाती	शुल्क के लागू दर का 50%	30 मी.टन	3700 मी.टन
52010020	न्यूनतम 28 मि मी स्टेपल लंबाई का अतिरिक्त लंबा स्टेपल कॉटन	शून्य प्रतिशत शुल्क	419 मी.टन	51,000 मी.टन

2. ऑस्ट्रेलिया प्रत्येक टीआरक्यू हेतु यथोचित मात्रा तक टीआरक्यू प्रमाणपत्र जारी करते हुए निर्यातकों अथवा उत्पादकों को टीआरक्यू का आवंटन करेगा।

सं. सारंगी

3. ऑस्ट्रेलिया में टीआरक्यू प्रमाणपत्रों हेतु सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक टीआरक्यू प्रमाणपत्र को डीजीएफटी की ईमेल ddg1import-dgft@gov.in और policy 2- dgft@gov.in पर साझा करेगा।

4. भारतीय आयातक डीजीएफटी को टीआरक्यू प्रमाणपत्र हेतु डीजीएफटी की वेबसाइट (https://dgft.gov.in)→सेवाएं→आयात प्रबंधन प्रणाली→प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू)→ 'टीआरक्यू हेतु आवेदन करें' पर आवेदन प्रस्तुत करें। उक्त आवेदक ऑस्ट्रेलिया में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑस्ट्रेलियन निर्यातकों को जारी किए गए निर्यात टीआरक्यू का संदर्भ अनिवार्य रुप से अपलोड करेगा अथवा प्रदान करेगा।

5. डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए टीआरक्यू में आयातक का नाम एवं पता, आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी), सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या, यथा लागू प्रशुल्क मद, मात्रा और टीआरक्यू की वैधता अवधि होनी चाहिए।

6. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रुप से जारी किया जाएगा और भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) को प्रेषित किया जाएगा।

7. टीआरक्यू के तहत आयात आईसीईएस प्रणाली में केवल इलेक्ट्रॉनिक रुप से डेबिट करने पर अनुमत होगा।

8. इन टीआरक्यू आयातों के संबंध में वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर अर्थात भारत में कैलेण्डर वर्ष होगा।

9. दिए गए वर्ष में टीआरक्यू प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने के लिए कोई भी अंतिम तिथि नही होगी। डीजीएफटी जारी किए गए टीआरक्यू प्रमाणपत्रों हेतु संचयी मात्रा की निगरानी करेगा। एक बार उल्लिखित टीआरक्यू मात्रा सीमा तक पहुंचने के बाद किन्हीं भी टीआरक्यू प्रमाणपत्रो को जारी नहीं किया जाएगा।

10. टीआरक्यू प्रमाणपत्र अधिकतम 12 माह की अवधि या वर्ष के अंत तक, जो भी पहले हो के लिए वैध होगा। टीआरक्यू प्राधिकार–पत्र के तहत टीआरक्यू प्राधिकार पत्र के केवल उल्लिखित वैधता के भीतर भारतीय सीमाशुल्क से आयात निकासी की जा सकती है।

11. आयात इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए (समय–समय पर यथा संशोधित) से संबंधित दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 66/2022 के अधीन होगा। इसके अलावा डीजीएफटी के पास किसी भी समय जैसा उचित समझा जाए तौर–तरीके/आवंटन प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए के तहत टीआरक्यू आयात हेतु आवेदन के लिए प्रक्रिया को जैसे कि ऊपर बताया गया है प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक–V के तहत शामिल किया जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए के तहत वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 66/2022–सीमाशुल्क दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के अनुरुप प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन हेतु प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
28.12.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फाइल संख्या 01/93/180/05/एएम–22/पीसी–2(ख)/ई–34097 से जारी]